संख्या- 8/1394/अड्तीस-5-14-27सम/2012(ए)

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर,2014

विषयः- **ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु लाभार्थी अंशदान/यूजर चार्जेज लिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहयोग (टेक्निकल एसिस्टेन्स) से पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना संचालन विषयक शासनादेश संख्या-710/अड्तीस-5-13-27सम/2012ए दिनांक31मार्च,2013का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सामान्य परिवार द्वारा रू0 450.00 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/बी0 पी0 एल0 परिवारों से रू0 225.00 प्रति परिवार अपफ्रन्ट अंशदान देने वाले

ग्रामों / मजरों को पाइप पेयजल योजना से प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1862/अड्तीस-5-2013-67सम/2007 टी0सी0, दिनांक 19 जुलाई, 2013जारी किया गया है।

2. उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत मांग आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रति हाउस होल्ड/परिवार रूपये 50.00 (रूपये पचास मात्र) प्रतिमाह अंशदान लिये जायेंगे। उपरोक्तानुसार अंशदान की व्यवस्था प्रदेश के समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु भी तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(राम बहादुर)

सचिव।

<u>संख्या-1394(1)अडतीस-5-2014, तददिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2 निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली।
3 स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
4 स्टाफ आफिसर,कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5 प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
6 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7 प्रमुख सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
8 अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।
9 आयुक्त,ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10 निदेशक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

11 महाप्रबन्धक, जल संस्थान झांसी/बांदा,मण्डल।

12 समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

13 समस्त जिला विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

14 समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

15 प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।

16 निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

17 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in